

स्कूल आफ एक्समीनेस इन पल्मोनरी मेडिसिन

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर (म.प.)

क/स्था/राज/एसईपीएम/2018 - 3223

दिनांक: 23 / 4 / 19

// विज्ञापित //

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश फा.क्र. 55 /2019/चार/एम सी.सी निर्देश/9179

आपल दिनांक 16-04-19 से प्राप्त अर्जमति एवं मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय आपल

के आदेश क्रमांक एफ1-3/2018/55-2 दिनांक 26/05/2018, आदेश क्रमांक एफ 1-3/2018/55-2 दिनांक

12/26 -03-2019, एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय आपल के आपल क्रमांक एफ 2-57/2018/55-1

दिनांक: 06/08/2018 द्वारा जारी मध्यप्रदेश सपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदेश सेवा नियम

2018 एवं कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, आपल के आपल क्रमांक 5528/स्था/राज/2018 दिनांक

11/09/2018 के अर्जक्रम में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में, स्कूल आफ एक्समीनेस इन

पल्मोनरी मेडिसिन के वीर शैक्षणिक सेवा के मेडिकल ऑफिसर के पद की पूर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जाना

है। इस हेतु संस्था स्तर पर निर्धारित पत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र की पात्रता

सिर्फ नेता जी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में टेन्चर/ नियमित पदों पर कार्यरत उन्ही

चिकित्सकों को ही होगी जो शासन/ एमसीआइ द्वारा निर्धारित अर्हताओं की पूर्ती करते हैं।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय दिनांक-24/4/2019 सायं 05.30 बजे तक

पोस्टर सीधी भर्ती (मेडिकल ऑफिसर)

क.	पदनाम	वैतनमान	आरक्षण
01	मेडिकल ऑफिसर	15660-39100+5400	00
			01
			UR
			ST
			SC
			OBC
			कुल
			01

उपरोक्त विहित पदों में SC = अनसूचित जाति, ST = अनसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार हेतु आरक्षित

है।

1. पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।

2. भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्राप्ति चिकित्सा महोदय के वेबसाइट पर

www.nscbm.ac.in पर उपलब्ध है।

3. विज्ञापित पदों के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधी समीचीन नियमों एवं अधिसूचनाओं के संबंध में अन्यथा लिखे

गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति/पदोन्नति/रहती, एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में

अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकते।

4. सपर स्पेशलिटी के उपरोक्त पदों पर प्रथम बार होने के कारण सीधी भर्ती द्वारा पदों की पूर्ती की जावेगी।

5. साक्षात्कार की संभावित दिनांक 25/04/2019 को निर्धारित की गई एवं इस हेतु पात्र उम्मीदवारों की सूची

महोदय के वेबसाइट पर की जावेगी तथा ईमेल / फोन द्वारा भी सूचित किया जावेगा।

टीप - संसक्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

टीप :- आर्य की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली जनवरी 01 को आधार मानकर गणना में

की जावेगी।

(Handwritten signatures)

Handwritten signature and initials

इंज. एम.एन.एस. मंडल
 स्कूल आफ एजुकेशन
 सवालक

जबलपुर म.प्र.
 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज
 मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ आधिष्ठाता

Handwritten signature and date 23/4

Handwritten initials

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक को होगी कि वे अपने आवेदन पत्र के लिये निर्धारित समस्त अर्हताएं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवासी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक को नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्राकृतिक से दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी। चयन होने पर कार्यभार ग्रहण के समय बिंदु क्र. 06 के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

महाविद्यालय जबलपुर म.प्र. की वेबसाइट www.nscbm.ac.in पर उपलब्ध है।

12. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा

11. नियुक्ति संबंधी समीक्षण नियमों एवं शर्तों में नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेंगे।

10. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में आवेदन पत्र पर दिनांक 24/4/2019 सायंकाल 5:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र एक ही जाग्रा जा सकता है। आवेदन पत्र के लिए आवेदन पत्र स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त होने का नाम एवं श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

वेबसाइट www.nscbm.ac.in पर किया जा सकता है।

लागू होगी। जिनका अवलोकन सवालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र./नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर की वेबसाइट पर 2018 लागू होगी।

8. सेवा शर्तें

7.5 महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति का अनुसूची -01 में विनिर्दिष्ट किसी पद के विरुद्ध चयन किये जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा महाविद्यालय में की पूर्ण सेवा एवं वेतनभत्तों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

7.6 किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत अथवा अन्य शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति को सेवा निवृत्त होने के पूर्व चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय सेवा से त्यागपत्र देना होगा।

8.1 निजी व्यवसाय (प्रोडक्ट प्रोड्यूस) पूर्णतः निषेध होगा। एनपीए नियमानुसार देय होगा।

8.2 वार्षिक वेतनवृद्धि नियमानुसार देय होगी।

8.3 भ्रमण पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता राज्य शासन की पात्रतानुसार देय होगा।

8.4 अवकाश, आरक्षण, एवं अर्धवार्षिकीय आयु के संबंध में म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदेश

स्कूल आफ एक्सप्लॉस डेन परमोनरी मीडिसिन

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर (म.प्र.)

क/स्था/राज/एसईपीएम/2018

दिनांक : / /

// विज्ञापित सूचना //

-04-19 से प्राप्त अर्जमति एवं मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 आदेश क्रमांक एफ1-3/2018/55-2 दिनांक 26/05/2018, आदेश क्रमांक एफ 1-3/2018/55-2
 दिनांक 12/26 -03-2019, एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय आपाल के आपन क्रमांक एफ 2-
 57/2018/55-1 दिनांक: 06/08/2018 द्वारा जारी मध्यप्रदेश संपूर्ण स्पर्शाली अस्पताल चिकित्सा शिक्षा
 आदेश सेवा नियम 2018 एवं कार्यालय आर्यवत, चिकित्सा शिक्षा, आपाल के आपन क्रमांक
 5528/स्था/राज/2018 दिनांक 11/09/2018 के अर्जकम में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर
 में, स्कूल आफ एक्सप्लॉस डेन परमोनरी मीडिसिन के बौर शैक्षणिक संवर्ग के मेडिकल ऑफिसर के पद की
 पूर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जाना है। इस हेतु संस्था स्तर पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रपत्र आमंत्रित किये
 जाते हैं। आवेदन प्रपत्र की पात्रता सिर्फ नेता जी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में देन्यार/ नियमित
 पदों पर कार्यरत उन्ही चिकित्सकों को ही होगी जो शासन/ एमसीआई द्वारा निर्धारित अहताओं की पूर्ती
 करते हों

आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय दिनांक-24.1.1./2019 सायं 05.30 बजे तक

सचालक

स्कूल आफ एक्सप्लॉस डेन परमोनरी मीडिसिन

मुख्य कार्यालय अधिकारी/ अधिकाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज

जबलपुर म.प्र.

[Handwritten signature]
23/1

[Handwritten signature]

आवेदन का प्रारूप

स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिसिटी मैनेजमेंट जलपुर के पर निर्धारित

द्वि आवेदन-पत्र (अंतिम तिथि / / 2018)

स्व प्रमाणित
कोटी

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

1. आवेदक का नाम

2. पुरुष/महिला

3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित)

4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)

राहर का नाम..... फोन नं

माँबाइल नंईमेलआइडी.....

5. स्टाईड पता.....

राहर का नाम..... फोन नं

माँबाइल नं

6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो)

7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकेसूची संलग्न करें)

8. दिनांक 01/01/2019 को आवेदक की आयुदिनमाहवर्ष

9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति- विवाहित/अविवाहित

10. विवाह का दिनांक-

11. वर्ग: अनारहित / अर्जसहित जाति / अर्जसहित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग
(आरहित श्रेणी हेतु संक्षम अधिकांशी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायापति संलग्न करें)

12. महिकल कार्डस्थित का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक

Dr. Anshu
Dr.

(एम.बी.बी.एस.)

Handwritten signatures and marks.

14. ...
 दिनांक
 आदेशक का पता एवं सम्बन्ध

13. ... (Attempt) ...

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था/श्री / वि.वि.	वर्ष	विषय	परीक्षा / /	पुनर्बी.बी.एस. के क्रम	परीक्षा/पुनराव (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						

13. ... (पुनराव-पत्र) ...

Handwritten marks: a checkmark, the word "अनुसूचित" (Arunachal), and the number "34".

आवृत्त का पूरा नाम एवं स्थान

1. प्रमाणित करवा/करती है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवृत्त पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. प्रमाणित करवा/करती है कि मैंने नैतिक पत्र के किसी अपराध से किसी-स्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी स्यायालय से विचारणीय है।

//संज्ञा-पत्र//